

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1491/2026

Rahul S/o Gopal, Aged About 19 Years, Ward No 2 Alwar Police Station Dhambola District Dungarpur, (Raj.) (Presently Lodged At Distt. Jail Dungarpur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. SS Shaktawat
For Respondent(s)	: Mr. Urjaram kalbi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

25/03/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिस थाना धम्बोला जिला डूंगरपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 257/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 126(2), 103(1), 61(2) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का तर्क है कि चालान पेश किया गया जा चुका है। इस मामले में घटना की एक मात्र चश्मदीद साक्षी करिश्मा है जिसने अपने पुलिस अनुसंधान के दौरान दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस में स्वयं द्वारा भुपेन्द्र उर्फ भूपतसिंह मृतक के साथ मारपीट करने वाले व्यक्तियों के नाम बताये हैं जिसमें प्रार्थी-अभियुक्त को मारपीट करने वालों में शामिल होना नहीं बताया है ऐसी अवस्था में प्रार्थी-अभियुक्त को पुलिस द्वारा गलत अपराधी मानकर गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त को दिनांक 10.01.2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी-अभियुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं किया गया है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।
04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया। उनका तर्क है कि इस मामले में गवाह महेन्द्र द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त को घटना से

पूर्व अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मौजूद होना देखना बताया है, इस आधार पर पुलिस द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त को अपराध में संलिप्त किया गया है। प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। घटना की मुख्य चश्मदीद साक्षी करिश्मा द्वारा इस स्टेज पर मारपीट करने वालों में प्रार्थी-अभियुक्त को नामजद नहीं किया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी प्रार्थी-अभियुक्त पर आरोप नहीं लगाया गया है। प्रकरण में चालान पेश किया जा चुका है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी-अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **राहुल पुत्र गोपाल** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J